बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–1 / पी0सी0आर0(विविध)–09–34 / 2013– 2944

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी आरक्षी अधीक्षक।

पटना, दिनांक– 30/12/2013

विषयः– **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम–2013 के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परामर्शी (SCD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली ने पत्र संख्या–11012 / 12 / 2008–पी0सी0आर0 (डेस्क) दिनांक–18 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रसंगाधीन संशोधित नियम–2013 की प्रति उपलब्ध करायी है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित संशोधन किये गये है :–

1– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम–16 के उपनियम(1) के खण्ड (iv) में "अनुसूचित जनजाति आयोग" शब्दों के पश्चात " केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्त्ता" शब्द अंतस्थापित किए जाएगें।

2– उक्त नियमों में, नियम–17 के उपनियम(2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात "(2क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्त्ता–सदस्य"।

3– उक्त नियमों में, नियम–17 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"17क उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन

(1) राज्य के प्रत्येक उपखण्ड का उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अपने उपखण्ड में इस अधिनियम के उपबंन्धों के कार्यन्वयन का, पीडितों को दिए गए अनुतोष और पुर्नवास सुविधाओं और उससे संबंधित विषयों का अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यन्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न अधिकारियों / अभिकरणों की भूमिका का और उपखण्ड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो का पुनर्विलोकन करने के लिए एक सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन करेगा।

(2) उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, अनुसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सबंधित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से सहयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न वर्गो से दो से अनधिक सदस्य होंगे। कमशः उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDM) अध्यक्ष होगा और ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) सदस्य सचिव होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्त्ता–सदस्य।

वर्णित स्थिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम–2013 की प्रतिलिपि भेजते हुए अनुरोध है कि संशोधित नियम के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव।
23/12/13

अनु0–यथोक्त ।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध)–09–31/2011– 2944 पटना, दिनांक– 30/11/2013

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सभी उपविकास आयुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–1/ पी0सी0आर0(विविध)–09–31/2011– 2945 पटना, दिनांक– 30/11/2013 23/11/13

प्रतिलिपि –प्रधान सचिव, गृह विभाग/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासिनिक सुधार विभाग/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव सभी विभाग/पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/ पी0सी0आर0(विविध)–09–31/2011– 2945 पटना, दिनांक– 30/11/2013 23/11/13

प्रतिलिपि –संयुक्त सचिव,समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,शस्त्री भवन, नई दिल्ली/संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनु0जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली/ संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनु0जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली/निदेशक, राष्ट्रीय अनु0जनजाति आयोग,बी0–189,श्री कृष्णापुरी,पटना–1 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/ पी0सी0आर0(विविध)–09–31/2011– 2945 पटना, दिनांक– 30/11/2013 23/11/13

प्रतिलिपि –सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, महादलित आयोग, बिहार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 23/11/13

sanjay k

(3)

Most Immediate

No. 11012/2/2008-PCR(Desk)
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Social Justice & Empowerment
***

Shastri Bhawan, New Delhi,
Dated: 18-11-2013

To,

The Principal Secretary,
SC/ST Development Department,
All State Governments/UT Administrations (except Jammu & Kashmir)

Subject:- Vigilance and Monitoring Committees under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes(Prevention of Atrocities){PoA}Rules, 1995....amendments in Rules 16 and 17 thereof.....regarding.

***

Sir/Madam

I am directed to refer to the subject noted above and to say that Rule 16 and Rule 17 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, as amended in 2011, provide for constitution of Vigilance and Monitoring Committees at the State and the District level respectively.

2. Consequent upon review of the existing provisions in Rule 16 and 17 of the PoA Rules and after consultation with the State Governments/Union Territory Administrations and the concerned Central Ministries, amendments in these two Rules have been made with the approval of the competent authority in this Ministry. Accordingly the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2013 have been notified in the Gazette of India Extraordinary dated 08.11.2013. A copy of the said notification (Hindi and English) is enclosed herewith for necessary action.

3. This issues with the approval of Additional Secretary, Department of Social Justice & Empowerment, Ministry of Social Justice & Empowerment.

Yours faithfully,

(V.R. Malhotra)
Consultant (SCD)
Tele: 23071374

Encl: As above

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2013/कार्तिक 17, 1935

No. 554] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2013/KARTIKA 17, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2013

सा.का.नि.725(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2013 है ।

(2)ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (iv) में, "अनुसूचित जनजाति आयोग" शब्दों के पश्चात् "केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियमों में, नियम 17 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता - सदस्य" ।

4. उक्त नियमों में, नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**17क.उपखंड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन** (1) राज्य के प्रत्येक उपखंड का उपखंड मजिस्ट्रेट, अपने उपखंड में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का, पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और उससे संबंधित विषयों का, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका का और उपखंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए एक सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन करेगा ।

(2) उपखंड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य और गैरसरकारी संगठनों से सहयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न वर्गों से दो से अनधिक सदस्य होंगे । क्रमशः उपखंड मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होगा और ब्लॉक विकास अधिकारी सदस्य सचिव होगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता - सदस्य" ।

[फा. सं. 11012/2/2008/पीसीआर(डेस्क)]

संजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316(अ), तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2013

G.S.R.725 (E).---In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:-

1. (1) These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in clause (iv) of sub-rule (1) of rule 16, after the words "Scheduled Tribes" the words " not more than three social workers nominated by the Central Government" shall be inserted.

3. In the said rules after sub-rule (2) of rule 17, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

" (2A) Not more than three social workers nominated by the Central Government – members".

4. In the said rules after rule 17, the following rule shall be inserted, namely:—

"17A. CONSTITUTION OF SUB-DIVISION LEVEL VIGILANCE AND MONITORING COMMITTEE.—(1) In each Sub Division within the State, the Sub-Divisional Magistrate shall set up a vigilance and monitoring committee in his sub-division to review the implementation of the provisions of the Act, relief and rehabilitation facilities provided to the victims and other matters connected therewith, prosecution of cases under the Act, role of different officers/agencies responsible for implementing the provisions of the Act and various reports received by the Sub-Division Administration.

(2) The Sub-Division level vigilance and monitoring committee shall consist of the elected Members of Panchayati Raj Institutions belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Deputy Superintendent of Police, Tehsildar, Block Development Officer, not more than two non-official members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and not more than two members from the categories other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, having association with Non-Government Organizations. The Sub-Divisional Magistrate shall be the Chairperson and the Block Development Officer, the Member Secretary respectively.

(3) Not more than three social workers nominated by the Central Government – members".

[F. No. 11012/2/2008-PCR (Desk)]
SANJEEV KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 316(E), dated the 31st March, 1995.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.